

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2020 — आश्विन 21, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7709/डी. 152/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 19 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
 (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) की धारा 4 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 4 का संशोधन.
 "(1) अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।"

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7709/डी. 152/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 13-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTIGARH ACT (No. 19 of 2020)

THE CHHATTISGARH RAJYA PICHHADA VARG AYOOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020.

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020. **Short title, extent and commencement.**
 (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
 (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. For sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 4.**
 "(1) The Chairperson and every member shall hold office, from the date on which he assumes the office, during the pleasure of the State Government."